

विज्ञापन

महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5,
पंचकुला

टेलीफोन 0172-2560120, 2560453

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका क्रमांक 12938/2014 - 'महासिंह भूरानिया बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक 06.8.2014 की पालना में विज्ञापन न0. 2/2012, कैटेगरी न0. 1 व 2 के तहत चयनित उम्मीदवार जो दिनांक 29.12.2014 से 16.3.2015 तक अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर देने हेतु किन्ही कारणों से उपस्थित नहीं हो पाये। ऐसे सभी अनुपस्थित उम्मीदवारों को दिनांक 17.03.2015, 18.03.2015 तथा 19.03.2015 को भी अवसर प्रदान किया गया था तथा अब उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि निम्न शैड्यूल अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के कार्यालय में सरकार द्वारा जारी अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड साथ लाएं। यदि आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो पासपोर्ट, वोटर कार्ड या पैन कार्ड आदि एवं बिना चश्में की तीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो (जिसमें फोटो का 60 प्रतिशत भाग साफ चेहरा वाला हो) सहित लेकर नीचे दिये गए शैड्यूल अनुसार निर्धारित तिथि को प्रातः 9.00 बजे उपस्थित हों। यदि कोई अभ्यर्थी इस अवसर पर भी अपने अंगूठों के निशान, हस्ताक्षर का नमूना एवं फोटो का मिलान करवाने में असफल रहता है या उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त उसकी उम्मीदवारी/पात्रता रद्द करवाने हेतु हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सिफारिश कर दी जायेगी। यह जानकारी विभागीय वैबसाईट www.harprathmik.gov.in पर देख सकते हैं।

क्रमांक	दिनांक	मैरिट न0.		कमेटी न0.
1.	09.04.2015	2 से 4595 तथा 1 से 1170 (मेवात केडर)	मेवात जिला को छोड़कर से सभी जिलो के अभ्यर्थी मेवात जिले के सभी अनुपस्थित अभ्यर्थी	1 व 2
2.	10.04.2015	4615 से 9045	मेवात जिला को छोड़कर से सभी जिलो के अभ्यर्थी	1 व 2

संयुक्त निदेशक प्रशासन
कार्यालय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला। 9